D

2018/00231

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

महोदय जी, पार्थी भगना के पिता का नाम ग्राम सांगरिया जमाबन्दी संवत् 2012-15 खाता सं. 546 में देवी अंकित है, जबकि खाता सं. 239 व आधार कार्ड में पार्थी के पिता का नाम देवा अंकित है, अतः मुताबिक खाता सं. 239 व आधार कार्ड के पार्थी के पिता का नाम देवी से देवा करना उचित है।

4.5.18

(हरिराम माली)
पटवारी, प.भ. ~~[illegible]~~
तह. फूलियाकलाँ (भीलवाड़ा)

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार फूलियाकलां

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी जाँच पर संशोधन स्वीकार योग्य है।

तहसीलदार
फूलियाकलाँ, जिला-भीलवाड़ा

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

प्र० स० 245/18 आदेश कैम्प - सांगरिया दि० 24/05/18

हस्व रिपोर्ट तहसीलदार फूलियाकलां के ग्राम सांगरिया की जमाबंदी 2012-15 की खाता संख्या 546 में दर्ज देवी की बजाय पिता का नाम देवा (पिता का नाम) दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजा जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ, जिला-भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां (भीलवाड़ा) राज.